अनुसूची–एक
(नियम 2 (1) (घ) एवम (ठ) देखिए)

अनुक्रमांक	पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु अर्हताएं			अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)			(4)
1.	बी.एस.सी. (नर्सिंग)	1.	अभ्यर्थी के श्रेणी एवं श्रेणी के लिए भारतीय नर्सिंग कौंसिल द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित–		काउंसलिंग के द्वितीय चरण एवं उत्तरवर्ती चरणों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों में से मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी उ[illegible] होने की द[illegible] अर्हता तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के लिए स्वमेव शिथिल मानी जाएगी।
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयो को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत से उत्तीर्ण हो। अंग्रेजी व हिन्दी मे पृथक–पृथक उत्तीर्ण हो। आरक्षित प्रवर्गो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	
			(तीन)	आयु की परिधि मे होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होना चाहिए ।	
		2.	मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी (मूल निवासी) होना चाहिए।		
		3.	अभ्यर्थी मेडिकली फिट होना चाहिए।		
2.	जनरल नर्सिंग एन्ड मिडवाइफरी	1.	प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित–		–
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयो को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	
			(तीन)	आयु की परिधि मे होना चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को 17 वर्ष होना चाहिए ।	

3.	अग्जीलरी नर्स मिडवाइफरी	–तदैव–			–
4.	पीबी–बी. एससी	1.	प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित:–		–
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	
5.	एम.एससी (नर्सिंग)	1.	प्रवर्ग एवं श्रेणी के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित:–		–
			(एक)	न्यूनतम प्रतिशतता प्राप्त करना; अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशतता, अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45 प्रतिशतता, आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशतता;	
			(दो)	12 वी कक्षा भौतिक, रसादन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत की छूट रहेगी; एवं	

17/40

अनुसूची–तीन
(नियम 2 (1) (ध) देखिए)
प्रवेश हेतु वांछित दस्तावेज

अनुक्रमांक	पाठ्यक्रम	जी.एन.एम.	बी.एस.सी. नर्सिंग	ए.एन.एम.	पीबी. बी.एस.सी.	एम.एस.सी.
1.	प्रवेश पात्रता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की छायाप्रति (प्रवेश पत्र)	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं
2.	प्रवेश पात्रता परीक्षा की अंक सूची की प्रति	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं
3.	अर्हता परीक्षा की अंकसूची की मूल प्रति (यथा हायर सेकेण्ड्री, 10+2)।	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं
4.	कक्षा 10वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अथवा अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) की मूल प्रति।	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं
5.	जी.एन.एम. की अंकसूची, एस.एन.आर.सी का जीवित प्रमाण पत्र, शासन में परीवीक्षा अवधि।	नही	नही	नहीं	हॉं	नहीं
6.	बी.एस.सी. / पीबी. बी.एस.सी. की अंकसूची, एस.पी.एन.आर.सी का जीवित प्रमाण–पत्र, शासन में परीवीक्षा समाप्ति अवधि।	नहीं	नहीं	नहीं	नही	हॉं
7.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी (मूल निवासी) प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं
8.	प्रवेश पात्रता परीक्षा के ठीक पूर्व का अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र। यह प्रमाणपत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भी जारी किया जा सकता है।	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं
9.	अभ्यर्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति।	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं
10.	आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र / EWS प्रमाण–पत्र / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं	हॉं

19/40

11.	दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
12.	संचालक, द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित प्रपत्र मे निम्न दस्तावेजः-						
	(1)	स्वशासी/शासकीय शिक्षण संस्थान मे पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी संस्थान मे 1 वर्ष की सेवा शासकीय चिकित्सालय में देने के लिए बाध्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा यह सेवा न करने पर स्वशासी संस्था में राशि रू. 2 लाख में जमा करना अनिवार्य होगा।					
	(2)	छात्र/छात्रा द्वारा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयो/प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यक्रम पूर्ण न करने से स्थिति में राशि रू. 2 लाख शासकीय कोषालय में जमा करना अनिवार्य होगा।					
	(3)	निजी नर्सिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्था से पाठ्यक्रम पूर्ण न करने की स्थिति मे पाठ्यक्रम की शेष प्रशिक्षण शुल्क की राशि संबंधित संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।					
13.	सैनिक श्रेणी का लाभ लेने के लिए सेवारत सैनिक के संबंध में उसकी यूनिट के कमाण्डेंट द्वारा और सेवानिवृत्त अथवा मूल सैनिक के संबंध में उसके जिले के सैनिक कल्याण बोर्ड [illegible] प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।						
14.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को संबधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।						
15.	आशा अभ्यर्थियो के लिए संबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी निरंतर 5 वर्ष कार्य संपादन का प्रमाण-पत्र।						